



जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नगिम

प्रीलमिस के लिये:

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नगिम

मेन्स के लिये:

बैंक की वफिलता से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (Punjab and Maharashtra Co-operative- PMC) बैंक की वफिलता के बाद भारतीय बैंकों में ग्राहकों की जमा राशि (Deposits) के बीमा की नमिन राशि का मुद्दा दोबारा चर्चा में आ गया।

प्रमुख बडि

- वर्तमान में बैंक वफिलता (Bank Collapse) के मामले में जमाकर्त्ता बीमा कवर के रूप में अधिकतम 1 लाख रुपए प्रतिखाते तक की राशि का दावा कर सकता है (भले ही उसके खाते में जमा 1 लाख से अधिक हो)।
- बैंक की वफिलता के मामले में खाते में 1 लाख रुपए से अधिक की राशि रखने वाले जमाकर्त्ताओं के पास कोई कानूनी उपाय नहीं है।
- जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नगिम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation- DICGC) द्वारा प्रतिजमाकर्त्ता को 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नगिम

- वर्ष 1978 में जमा बीमा नगिम (Deposit Insurance Corporation- DIC) तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Credit Guarantee Corporation of India- CGCI) के वलिय के बाद अस्तित्व में आया।
- यह भारत में बैंकों के लिये जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है।
- यह भारतीय रजिस्त्र बैंक द्वारा संचालित और पूरण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- 1 लाख रुपए का कवर वाणजियिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), स्थानीय क्षेत्र बैंकों (LABs) और सहकारी बैंकों में जमा के लिये है।
- DICGC के आँकड़ों के अनुसार, बीमति जमा का स्तर 2007-08 के 60.5% के उच्च स्तर से घटकर 2018-19 में 28.1% हो गया है।
- मार्च 2019 के अंत में DICGC के साथ पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,098 थी, जिसमें 103 वाणजियिक बैंक, 1,941 सहकारी बैंक, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 3 स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल थे।
- DICGC ने वर्ष 1980 के 30,000 रुपए के जमा बीमा कवर को 1 मई, 1993 में संशोधित करके 1 लाख रुपए कर दिया था।
- DICGC एक बैंक द्वारा जमा किये गए 100 रुपए पर 10 पैसे का शुल्क लेता है। बीमति बैंकों द्वारा नगिम को भुगतान किये गया प्रीमियम, जमाकर्त्ताओं के बजाय बैंकों द्वारा वहन किये जाना आवश्यक होता है।
- DICGC के अनुसार, वर्ष 2018-19 में वाणजियिक बैंकों ने कुल 11,190 करोड़ रुपए का भुगतान किये, जबकि सहकारी बैंकों ने 850 करोड़ रुपए का भुगतान किये।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

